पीबीएक्स

🗖 फैक्स

0522-2629284

: upcb.bkg@upscb.com

पत्राँक : बैंकिंग / एफ- / 2024-25 /44 ह

दिनॉक : **01** फरवरी, 2025



# उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.

मुख्यालय, 2, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, समस्त शाखाएं. उत्तर प्रदेश।



### विषय: उ०प्र0 कोआपरेटिव बैंक में सहकार समृद्धि सैलरी एकाउन्ट स्कीम लागू करने के सम्बन्ध में।

बैंक में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने, कम लागत के निक्षेपों तथा ऋण व्यवसाय में वृद्धि के दृष्टिगत नयी योजना "सहकार समृद्धि सैलरी एकाउन्ट स्कीम" तैयार की गयी है, जो बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 16.01.2025 को पारित प्रस्ताव संख्या—19 में लिये गये निर्णय के कम में निम्नानुसार लागू की जाती है :-

सहकार समृद्धि सैलरी एकाउन्ट स्कीम (SSSAS)

	Meters of the second			
कमांक	योजना के बिन्दु	विवरण		
1	उद्देश्य	भारत सरकार, उ०प्र० सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं (सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी), कार्पोरेशन, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, विकास प्राधिकरण, स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं कैंडर कार्यालय के स्थाई कार्मिकों को आकर्षक ब्याज दर पर सुगमता से वेतनं खाते के साथ ओवर ड्राफ्ट ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना एवं आकर्षक ब्याज एवं अन्य सुविधाएं।		
2	प्रकिया	<ul> <li>उपरोक्त संस्थाओं द्वारा अपने समस्त स्थायी कार्मिकों का वेतन खाता उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक की किसी नजदीकी शाखा में खुलवाना होगा।</li> <li>उपरोक्त संस्थाओं द्वारा अपने समस्त कार्मिकों का वेतन/अन्य देय बैंक शाखा में खुले वेतन खाते में अन्तरित करना होगा।</li> </ul>		
		<ul> <li>बैंक शाखा उपरोक्त संस्थाओं के कार्मिकों का वेतन खाता एवं ओवर ड्राफ्ट खाता अपनी शाखा में खोलेगी।</li> </ul>		
3	वेतन खाता एवं ओवर ड्राफ्ट खाता खोलने हेतु आवश्यक प्रपत्र	<ul> <li>नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो</li> <li>पैन कार्ड (अनिवार्य)</li> <li>पते के प्रमाण हेतु आधार कार्ड/बोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पासपोर्ट/संस्था द्वारा निर्गत परिचय पत्र अथवा नवीनतम बिजली का बिल/हाउस टैक्स रसीद</li> </ul>		

4	बचत खाता खोलने	शून्य
4	हेतु न्यूनतम धनराशि	**
5	ब्याज (बचत खाते पर)	<ul> <li>उक्त बचत खाते में औसत मासिक बैलेंस निम्न होने पर निम्न ब्याज दर * देय होगीं :</li> <li>रू० ३.०० लाख तक – ३.५० प्रतिशत</li> <li>रू० ३.०० लाख से अधिक तथा रू० ४.०० लाख तक – ४.०० प्रतिशत</li> <li>रू० ४.०० लाख से अधिक – ४.५० प्रतिशत</li> </ul>
	The state of the s	*उक्त ब्याज दरें समय-समय पर परिवर्तनीय होगीं। उक्त बचत खाते पर नामिनेशन सुविधा उपलब्ध है।
6	नामिनेशन सुविधा	
7	बचत खाते पर सुविधाएं	<ul> <li>ओवर ड्राफ्ट ऋण सीमा की सुविधा</li> <li>प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से दुर्घटना के कारण मृत्यु पर उसके नामिनी को रू० 2.00 लाख की बीमा राशि बैंक के माध्यम से देय होगी। उक्त बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा।</li> <li>आईएमपीएस/ आरटीजीएस/ एनईएफटी/ यूपीआई के ट्रॉजेक्शन पर कोई सेवा प्रभार नहीं लिया जायेगा।</li> <li>इण्टरनेट बैंकिंग सुविधा निःशुल्क।</li> <li>चेक बुक की सुविधा निःशुल्क।</li> <li>एसएमएस सुविधा निःशुल्क।</li> <li>डेबिट कार्ड निःशुल्क, डेबिट कार्ड का वार्षिक प्रभार निःशुल्क।</li> <li>निःशुल्क डी.डी./बैंकर्स चेक निर्गत करने की सुविधा।</li> <li>लॉकर आवंटित कराने पर लॉकर के वार्षिक किराये में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।</li> <li>वेतनभोगी कार्मिक के स्पाउस को शून्य बैलेंस पर बचत खाता खोलने की अनुमित होगी।</li> <li>ं उक्त योजना से आच्छादित वेतनभोगी कार्मिक को उक्त योजना लागू होने की तिथि के पश्चात बैंक की व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत ऋण योजनाओं यथा— व्यक्तिगत ऋण, कार ऋण, गोल्ड लोन, अचल सम्पत्ति के विरूद्ध ऋण, गृह ऋण, दो पिहया वाहन ऋण, शिक्षा ऋण एवं होम लोन टेक ओवर ऋण में प्रचित्त ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत तथा प्रोसेसिंग फीस में 50 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जायेगी।</li> </ul>
8	सहकारी स्वागत किट	• उक्त बचत खाता खोलने के उपरान्त तत्समय ग्राहक को
		सहकारी स्वागत किट उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें पासबुक, एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड पिन आदि होगें।

9. 3	विर ड्राफ्ट की सुविधा	
>	ओवर ड्राफ्ट ऋण सीमा	स्थायी कार्मिक के 05 माह के वेतन के बराबर या अधिकतम 5.00 लाख (जो भी कम हो)
>	ब्याज दर	9.75 प्रतिशत (ओवर ड्राफ्ट की आहरित धनराशि पर मासिक आधार पर ब्याज चार्ज किया जायेगा, जो प्रभारित एवं यौगिक(कम्पाउन्ड) होगा)
>	ओवर ड्राफ्ट ऋण अवधि	कार्मिक के सेवानिवृत्त होने से 6 माह पूर्व ब्याज सहित ऋण चुकता करना होगा।
A	आवश्यक प्रपत्र :	<ol> <li>आवेदन पत्र (Form No. ODL-1)</li> <li>ओवर ड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करने हेतु सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जारी अन्डरटेकिंग (Form No. ODL-2)</li> <li>नाममात्रिक सदस्यता (Form No. ODL-3)</li> <li>डिमान्ड प्रोनोट (निर्धारित मूल्य के रसीदी टिकट के साथ)(Form No. ODL-4)</li> <li>लेटर आफ कन्टीन्यूटी (Form No. ODL-5)</li> <li>लेटर आफ अन्डरटेकिंग फाम बारोवर (Form No. ODL-6)</li> <li>पैन, आधार एवं विभागीय परिचय पत्र की छायाप्रति, नवीनतम फोटोग्राफ</li> <li>विगत तीन माह का वेतन प्रमाण पत्र</li> </ol>
<b>&gt;</b>	सिबिल स्कोर	<ul> <li>सिबिल स्कोर 700 या 700 से अधिक होना चाहिए</li> <li>सिबिल स्कोर 750 या अधिक होने पर ब्याज दर पर 0.25 प्रतिशत की छूट।</li> <li>शाखा प्रबन्धक सिबिल स्कोर 700 न होने पर 50 अंकों की छूट गुण–दोष के आधार पर दे सकेगा।</li> </ul>
<b>A</b>	विशेष निर्देश	<ul> <li>ओ०डी० पर मासिक ब्याज लगने के पश्चात ऋणी को मासिक ब्याज अनिवार्य रूप से ओ०डी० खाते में जमा करना होगा तथा यदि ओवर ड्राफ्ट में लगा ऋण स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक हो जाता है तो वेतनभोगी को धनराशि जमा कर ओ०डी खाता ऋण सीमा के अन्दर लाना अनिवार्य होगा। यदि वह धनराशि जमा नहीं करते हैं तो शाखा को अधिकार होगा कि वह ऋणी का वेतन खाता डेबिट कर ऋण खाते में ट्रॉसफर कर दें। खाता खोलते समय इस हेतु ऋणी से अन्डरटेकिंग ली जायेगी।</li> <li>ऋणी के विभाग के आहरण वितरण अधिकारी से अन्डरटेकिंग ली जाएगी कि ऋणी के वेतन सहित समस्त देयों का भुगतान बैंक के बचत खाते में करेगा।</li> <li>बिना ऋण चुकाए सम्बन्धित संस्था वेतनभोगी के वेतन खाते को किसी अन्य बैंक में स्थानान्तरित नहीं करेगी।</li> <li>संस्था अपने कार्मिक से सेवानिवृत्त होने के 6 माह पूर्व ओवर ड्राफ्ट ऋण खाता ब्याज सहित जमा करायेगी तथा</li> </ul>

		ऋणी की जिम्मेदारी होगी कि वह ओवर ड्राफ्ट ऋण सीमा सेवानिवृत्त से 6 माह पूर्व ब्याज सिहत समायोजित कर दे। • उधारकर्ता द्वारा की गयी चूक से बैंक को नुकसान होता है तो उधारकर्ता को उक्त की क्षतिपूर्ति करनी होगी।
>	ओवर <b>ड्राफ्ट की अन्य</b> सुविधा	निःशुल्क स्टेटमेन्ट/पासबुक/चेकबुक की सुविधा
10	विवाद की स्थिति	किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण सहकारी समिति अधिनियम — 1965 एवं सहकारी समिति नियमावली—1968 की सुसंगत धाराओं एवं नियमों के अन्तर्गत मध्यस्थ वाद द्वारा आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शाखा परिधि के अन्तर्गत स्थापित उपरोक्त संस्थाओं के उच्चाधिरियों से सम्पर्क कर योजना की विशेषताओं से अवगत कराते हुए सम्बन्धित संस्था में कार्यरत समस्त कार्मिकों के वेतन खाते खोलना सुनिश्चित करें तथा बैंक द्वारा प्रदान की जा रहीं समस्त समस्त डिजिटल सुविधाओं एवं अन्य बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करने के साथ—साथ बैंक के वित्तीय संसाधनों का लाभप्रद विनियोजन करने हेतु सम्बन्धित वेतनभोगियों को उपरोक्तानुसार ओवरङ्गाफ्ट की सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : ओवरङ्राफ्ट से सम्बन्धित आवेदन

प्रपत्र (ODL-1 to ODL 7)

( आर०के० कुलश्रेष्ठ )

आर0क0 कुलश्रष्ठ प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० मेगासॉफ्ट सिस्टम प्राठलिठ, सीबीएस वेन्डर, उठप्रठ कोआपरेटिव बैंक लिठ, को इस निर्देश के साथ कि सहकार समृद्धि सैलरी एकाउन्ट स्कीम का सेविंग बैंक से सम्बन्धित पृथक जीएल खोलते हुए स्कीम में उल्लिखित निःशुल्क सुविधाओं का प्राविधान करें तथा उक्त स्कीम में ओवरड्राफ्ट ऋण सीमा हेतु पृथक जीएल खोलते हुए कृत कार्यवाही से बैंकिंग अनुभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

2. श्री राहुल श्रीवास्तव, प्रबन्धक(आईटी), उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे बैंक की वेबसाइट पर सम्बन्धित स्कीम अपलोड करना सुनिश्चित करें।

- 3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 4. सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
- 5. समस्त उपमहाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ
- 6. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।
- स्टाफ आफिसर—अध्यक्ष, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गोमतीनगर, लखनऊ।
- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ।

पूर्वन्ध निदेशक

## उ०प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय लखनऊ

सहकार समृद्धि सैलरी एकाउन्ट स्कीम के अन्तर्गत ओवर ड्राफ्ट ऋण सीमा स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक,	ऋणी की फोटो
उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०,	
খাত্তা	
महोदय,	
बैंक द्वारा निर्धारित शर्ती एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रार्थी को ओ	वर ड्राफ्ट ऋण सामा रू०
स्वीकृत करने का कष्ट करें। प्रार्थी का विवरण	निम्नवत ह :-
1. नाम	
2. पिता / पति का नाम	
3. संस्था जहाँ पर कार्यरत हैं	
4. पदनाम	
5. जन्मतिथि	
6. नियुक्ति की तिथि	
7. स्थाईकरण की तिथि	
<ol> <li>सेवानिवृत्ति की तिथि</li> </ol>	
9. वर्तमान तैनाती स्थान	
१०. स्थायी पता	
11. वर्तमान पता	
12. मोबाइल नम्बर	
13. माह के वेतन का विवरण	
(अ) कुल वेतन	
(ब)  कुल कटौतियाँ	
(स) शुद्ध आहरित वेतन	
. , ,	
में एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया ग	ाया उपरोक्त विवरण पूर्णरूपेण
सत्य है एवं ओवर ड्राफ्ट ऋण के सम्बन्ध में बैंक द्वारा वर्तमान	में लागू तथा समय–समय पर
भविष्य में भी लागू किये गये नियम एवं शर्ते मुझे मान्य होगीं। मैं बै	ांक को यह भी अधिकत करत
हूं / करती हूं कि यदि किन्हीं कारणोंवश उक्त ऋण का समायोजन	महीं हो पाता है तो बैंक क
हूं करता हूं कि याद किन्हा कारणायर उपर प्रत्य पर रागायाजन	ति को स्वयाणि साम्बर्का भीता से से स्वयाणि साम्बर्का भीता
यह अधिकार होगा कि वह मेरी संस्था से मेरे अन्य पावनाओं / देय	॥ स धनशारा प्रापा कर जाव
ड्राफ्ट ऋण का समायोजन/वसूली कर सकता है।	
दिनांक	
आवेदक का हस्त	ाक्षर
आवेदक का नाम	
	कमशः 2

(2)

# शाखा के प्रयोगार्थ

श्री / श्री	ोमती	प	दनाम	तैनाती	स्थान
	एवं माह				
	को ओवर				
		)	की वार्रि	र्षेक ब्याज दर पर	स्वीकृत
	संस्तुति की जाती है।				
सहायक	सहायक प्रबन्धक	प्रबन्धक	शाखा प्रबन्धक	/ मु०प्र०	

## **UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LTD.**

# MEMORANDUM OF UNDERTAKING FROM THE EMPLOYER IN FAVOUR OF THE BANK

This is to certify that D/o/W/o	Sri/Km./SmtS/o
permanent/Regular employee of	of our Institution/Department. He/She is working s/her monthly emoluments are as below :
Date of Retirement	
Basic pay	
Dearness Allowance	
Other Allowances	
Total emoluments	
Deductions	
Net Salary Drawn	
Cooperative Bank Ltd. to Sri/Si him/her before six month hi outstanding amount of overdra banks favuor. If beneficiary o Uttar Pradesh Cooperative Ban	Overdraft Limit sanctioned by Uttar Pradesh mt./Km, if not paid by is/her retirement, this office will deduct all aft limit with intreset from his/her retrial dues in r this office shifts his/her salary account from k Ltd. to other bank, then this office shall adjust the retrial benefits/dues will be paid only after se' from the bank.
Date	
	Signature of DDO/Employer
	Name
	Designation
	Seal of institution or Department

#### **UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LTD.**

Dy. General Manager/Chief Manager/Branc U.P. Cooperative Bank Ltd. Branch	h Manager
Sir/Madam,	
your Bank and send herewith the sum of Rs the Bank. I hereby authorise you to place members in case the application is granted.  2. I am qualified to be a member of the Bank and State that I shall be bound by the modification of or addition to such bye-law period of membership of the bank.	. 1/- only as fee in terms of the bye-laws of ce my name on the register of nominal onk in terms of clause 5C of bye-laws of the e existing bye-laws of the bank and by any
Name in Full	
	Signature
Admitted  Dy. General Manager/Chief Manager/Branch Manager	
Specimen Signature from	
Name	
Address Dated	

#### **UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LTD.**

#### **DEMAND PRONOTE**

RS	DATED
PROMI	SE TO PAY TO UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LTD.
	M OF RUPEES
	WITH INTEREST AT THE
	PERCENT PER ANNUM ABOVE THE RESERVE BANK OF INDIA
RATE SUBJECT TO M	INIMUM RATE OF INTEREST OFPERCENT PER ANNUM WITH
RES	TS FOR VALUE RECEIVED.
	CICNATURE
Revenew	SIGNATURE
Stamp	NAME
	DESIGNATION
	INSTITUTION NAME
	(ADDRESS)

#### **UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LTD.**

#### **Letter of Continuity**

To,					
Branch Manage U.P. Cooperation	ve Bank Ltd.,				
Dear Sir,					
I beg to	o enclose a	demand	Promissory	Note	for
Rs	(Rupees		) signed by	y me which	h is
given to you as secu	arity for the repayment	t of Overdr	aft limit which	is at pres	sent
outstanding in my r	name for the repayme	ent of Overo	draft limit to t	the extend	of
Rs(Rupe	ees	) which I r	nay/avail of her	reafter and	the
said Promissory not	e is to be a security t	o you for th	e repayment o	f the ultim	ıate
balance sum remainin	ng unpaid on the Overd	raft limit and	l I am to remain	n liable on	the
said promessory note	e notwithsatanding the	e fact that l	by payments n	nade into	the
account of the said	Overdraft limit from ti	me to time	reduced are ext	tinguished	are
even that the balance	of the said account ma	y be at credi	t although the s	said Overd	raft
limit is in the name of	will be lia	able as afores	said.		
Dated :	<del></del> -				
Place					
		Your	faithfully,		
			5.		
		Name			
		Designation		Š	
		Institution			
	Address				

# उ०प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,

## लेटर आफ अन्डरटेकिंग फ्राम बारोवर

सेवा में,
शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, शाखा ————————
महोदय,
मुझे शाखा द्वारा मेरे सहकार समृद्धि सैलरी एकाउन्ट स्कीम योजनान्तर्गत ओवर ड्राफ्ट लिमिट रू० ———————————————————————————————————
<ol> <li>ओवर ड्राफ्ट लिमिट हेतु बैंक द्वारा समय—समय पर परिवर्तित की जाने वाली ब्याज दर मुझे मान्य है।</li> </ol>
2. मैं स्वीकृत ओवर ड्राफ्ट लिमिट को ऋण सीमा के अन्तर्गत ही रखूँगा तथा ओवर ड्राफ्ट लिमिट पर मासिक ब्याज लगने के पश्चात ब्याज अनिवार्य रूप से ओ०डी० खाते में जमा कर दूँगा तथा यदि ओवर ड्राफ्ट लिमिट में लगा ऋण स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक हो जाता है तो मैं उस सीमा तक धनराशि जमा कर ओवर ड्राफ्ट खाते को ऋण सीमा तक ही रखूँगा।
<ol> <li>बैंक को यह अधिकार होगा कि ओवर ड्राफ्ट खाते में स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक आउटस्टैंडिंग होने पर मेरे वेतन खाते को डेबिट कर समायोजित कर लें।</li> </ol>
<ol> <li>मैं अपना सैलरी खाता किसी अन्य बैंक में स्थानान्तरित नहीं करूँगा जब तक कि मेरा ओवर ड्राफ्ट खाता मय ब्याज समायोजित नहीं हो जाता है।</li> </ol>
5. मैं अपनी ओवर ड्राफ्ट ऋण सीमा को अपनी सेवानिवृत्ति तिथि से छः माह पूर्व मय ब्याज समायोजित कर दूँगा।
6. यदि विषम परिस्थितियों में मैं ओवर ड्राफ्ट लिमिट समायोजित नहीं कर पाता हूँ तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह मेरे नियोक्ता संस्था से मेरे देयों एवं सेवानिवृत्तिक देयों से धनराशि प्राप्त कर ओवर ड्राफ्ट लिमिट मय ब्याज समायोजित कर लें।
<ul> <li>वैंक से बिना नोड्यूज सर्टीफिकेट प्राप्त किये मेरी नियोक्ता संस्था द्वारा मेरे सेवानिवृत्त देयों</li> <li>का भुगतान न करने हेतु अपनी सहमित देता हूँ।</li> </ul>
दिनांक :
स्थानःभवदीय
ऋणी का नाम :
पता : संस्था का नाम

उ०प्र०	कोआपरेटिव	बैंक लि0
शाखा		
	0 0	

ऋण	स्वीकृति	पत्र

ऋण स्वीकृति पत्र		
पत्रांक- दिनॉक-		
महोदय / महोदया,		
सहकार समृद्धि सैलरी एकाउन्ट स्कीम के अन्तर्गत ओवर ड्राफ्ट ऋण हेतु बैंक को प्रेषित		
आपके ऋण आवेदन पत्र दिनॉकके कम में आपको अंकन रू0		
(रू०मात्र) की ओवर ड्राफ्ट ऋण सीमा निम्नलिखित		
शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-		
1. ब्याज दर:प्रतिशत		
अ— ऋण राशि पर ब्याज मासिक आधार पर प्रभारित (चार्ज) एवं यौगिक		
(कम्पाउन्ड) किया जायेगा।		
ब— ऋण सीमा से अधिक आउट स्टैंडिंग राशि पर भुगतान तिथि तक 2 प्रतिशत की दर		
से दण्डनीय ब्याज भी चार्ज किया जाएगा।		
2. ऋण की अवधि : सेवानिवृत्ति तिथि के छः माह पूर्व की तिथि।		
3. ऋण की अदायगी :		
ओवर ड्राफ्ट ऋण की अदायगी आप को अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के छः माह पूर्व किया		
जाना अनिवार्य होगा। यदि आप द्वारा ओवर ड्राफ्ट ऋण की अदायगी समयान्तर्गत नहीं की		
जाती है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी तथा आपकी नियोक्ता		
संस्था से सम्पर्क कर ओवर ड्राफ्ट ऋण की वसूली सुनिश्चित की जायेगी।		

4. ऋण की सुरक्षा :

आपकी नियोक्ता संस्था ------ द्वारा दी गयी अन्डरटेकिंग के आधार पर आपको ओवर ड्राफ्ट ऋण सीमा स्वीकृत की गयी है।

- 5. आपको बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनना होगा।
- 6. उधारकर्ता द्वारा की गयी चूक से बैंक को नुकसान होता है तो उधारकर्ता को उक्त की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

उक्त ऋण की अन्य सभी शर्ते / प्रतिबन्ध आप द्वारा निस्पादित किए गये / किए जाने वाले डाकूमेंटस में वर्णित विवरणानुसार तथा बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाली शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुसार होंगी, जो आपको मान्य होंगी।

उक्तानुसार वर्णित शर्तो की स्वीकारोक्ति के सम्बन्ध में कृपया इस पत्र की द्वितीय प्रति (Duplicate Copy) पर अपने हस्ताक्षर कर बैंक को इस पत्र की तिथि से अधिकतम 30 दिन के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें।

मूल प्रति प्राप्त की।

भवदीय

बैंक द्वारा निर्धारित शर्ते एवं प्रतिबंध स्वीकार है।

उपमहाप्रबन्धक / मुख्य प्रबंधक / शाखा प्रबंधक

हस्ताक्षर ऋणी दिनॉक-